बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

मासिक प्रतिवेदन

दिसम्बर 2020

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

विषय सूची पेज नं.

(A) अभियंताओं/वास्तुविदों/संवेदकों/राजमिस्त्रियों को भूकम्परोधी निर्माण तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण 01

(B) मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम 2–3

(C) बहु–आपदा प्रवण विषय पर वर्चुअल सामुदायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम 4–5

(D) अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम 6–7

(E) नौका दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु जागरूकता एवं बचाव के तरीकों आदि विषय पर ऑनलाईन संवेदीकरण 08–10

(F) डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम हेतु जागरूकता एवं बचाव के तरीकों आदि विषय पर से ऑनलाइन संवेदीकरण 11–12

(G) सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु जागरूकता एवं बचाव के तरीकों आदि के संबंध में पुलिस पदाधिकारियों का ऑनलाइन संवेदीकरण 13–15

(H) शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों का संवेदीकरण कार्यक्रम 16–23

(I) संसाधन की उपलब्धता ही नहीं, जानकारी भी जरूरी 24–25

(J) **Mass Messaging** 26–27

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

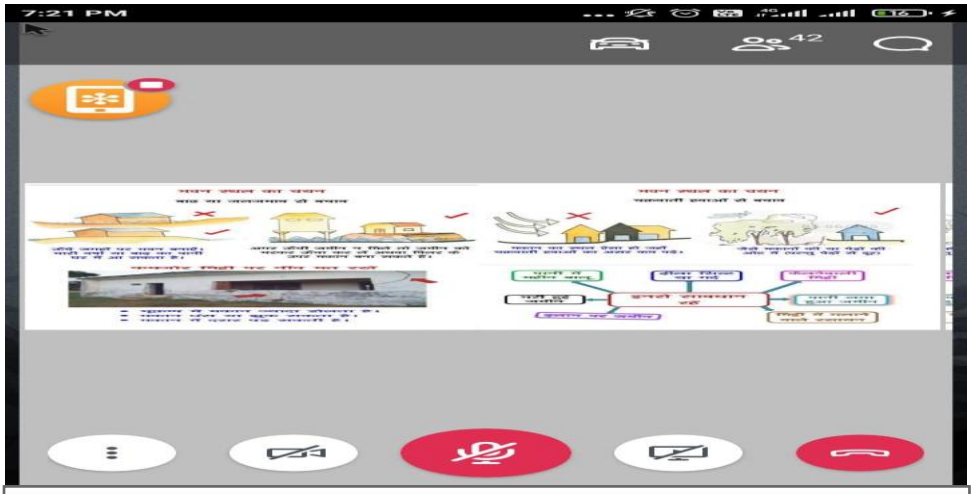

जिला–गोपालगंजः Online रिफ्रेशर कार्यक्रम

मासिक प्रतिवेदन (दिसम्बर, 2020)

(A) अभियंताओं/वास्तुविदों/संवेदकों/राजमिस्त्रियों का भूकम्परोधी निर्माण तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण

(1) दिनांक 03 मार्च 2020 तक 31 जिलों में कुल 13308 राजमिस्त्रियों एवं 32 जिलों में मुख्यालय सहित कुल 2437 असैनिक अभियंताओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

जिलों में भूकम्परोधी भवन निर्माण तकनीक पर प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों के लिए प्राधिकरण द्वारा Online रिफ्रेशर का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दिसम्बर माह में Online रिफ्रेशर कार्यक्रम की विवरणी इस प्रकार है।

क्र.सं.	तिथि	जिला का नाम	सहभागियों की संख्या
1.	01 से 02 दिसम्बर 2020	सीतामढ़ी	43
2.	03 से 04 दिसम्बर 2020	मधुबनी	22
3.	08 से 09 दिसम्बर 2020	मधुबनी	30
4.	10 दिसम्बर 2020	दरभंगा	36
5.	14 दिसम्बर 2020	अररिया	55
6.	16 दिसम्बर 2020	किशनगंज	18
7.	18 दिसम्बर 2020	पूर्णियाँ	26
8.	21 दिसम्बर 2020	पू० चम्पारण	40
9.	23 दिसम्बर 2020	पू० चम्पारण	29
10.	25 दिसम्बर 2020	शिवहर	18
11	28 दिसम्बर 2020	मुज्फ्फरपुर	19
12	30 दिसम्बर 2020	वैशाली	53

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(B) मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम

1. दूरदर्शन बिहार पर "मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय" कार्यक्रम के अंतर्गत "मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम–सुरक्षित शनिवार" को प्रत्येक शनिवार को प्रसारित किया जा रहा है

2. मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (सुरक्षित शनिवार) के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय के फोकल शिक्षकों का ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम `वर्तमान समय में Covid–19 वैश्विक महामारी के कारन राज्य के सभी विद्यालय बंद हैं और नतीजतन सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम भी विद्यालयों में नहीं चलाया जा सका है। इस वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए दिनांक 24 नवम्बर से राज्य के सभी सरकारी/गैर–सरकारी/ मदरसा बोर्ड/संस्कृत शिक्षा बोर्ड तथा अन्य विभागों के द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों के एक–एक फोकल शिक्षकों का ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया है द्य फोकल शिक्षकों के तीन दिनों के पूर्व निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम को ऑनलाइन 13 सत्रों में विभाजित कर प्रत्येक फोकल शिक्षकों को 13 सत्रों का ऑनलाइन प्रशिक्षण कराया जा रहा है। दिनांक 24 नवम्बर से बांका जिले के फोकल शिक्षकों का 13 सत्रों का प्रशिक्षण प्रारम्भ हुआ द्य भागलपुर और शेखपुरा जिले के फोकल शिक्षकों का प्रशिक्षण 04 दिसम्बर से प्रारम्भ किया गया। नालंदा जिले के फोकल शिक्षकों का प्रशिक्षण दिनांक 15 दिसंबर से प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात दरभंगा जिले के फोकल शिक्षकों का प्रशिक्षण दिनांक 24 दिसंबर से प्रारंभ हुआ।
फोकल शिक्षकों के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सत्रानुसार शामिल हुए प्रतिभागियों की संख्या निचे टेबल में दिया गया है।

जिला	सत्र सं.	दिनांक	समय	प्रतिभागियों की संख्या
बांका विद्यालयों की कुल संख्या – 2300	9	01.12.2020	11.30 – 12.30	*1223*
	10	01.12.2020	02.30 – 03.30	*1108*
	11	02.12.2020	11.30 – 12.30	*1299*
	12	02.12.2020	02.30 – 03.30	*1207*
	13	03.12.2020	11.30 – 12.30	*1423*

जिला	सत्र सं.	दिनांक	समय	प्रतिभागियों की संख्या
भागलपुर एवं शेखपुरा विद्यालयों की कुल संख्या – 1954 + 636 = 2590	1	04.12.2020	11.30 – 12.30	1712
	2	04.12.2020	02.30 – 03.30	1447
	3	07.12.2020	11.30 – 12.30	1717
	4	07.12.2020	02.30 – 03.30	1466
	5	08.12.2020	11.30 – 12.30	1702
	6	08.12.2020	02.30 – 03.30	1447
	7	09.12.2020	11.30 – 12.30	1699
	8	09.12.2020	02.30 – 03.30	1464
	9	10.12.2020	11.30 – 12.30	1660
	10	10.12.2020	02.30 – 03.30	1431
	11	11.12.2020	11.30 – 12.30	1653
	12	11.12.2020	02.30 – 03.30	1407
	13	14.12.2020	11.30 – 12.30	1484

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

जिला	सत्र सं.	दिनांक	समय	प्रतिभागियों की संख्या
नालंदा विद्यालयों की कुल संख्या – 2998	1	15.12.2020	11.30 – 12.30	2677
	2	15.12.2020	02.30 – 03.30	2408
	3	16.12.2020	11.30 – 12.30	2742
	4	16.12.2020	02.30 – 03.30	2463
	5	17.12.2020	11.30 – 12.30	2726
	6	17.12.2020	02.30 – 03.30	2492
	7	18.12.2020	11.30 – 12.30	2655
	8	18.12.2020	02.30 – 03.30	2388
	9	21.12.2020	11.30 – 12.30	2424
	10	21.12.2020	02.30 – 03.30	2151
	11	22.12.2020	11.30 – 12.30	2475
	12	22.12.2020	02.30 – 03.30	2175
	13	23.12.2020	11.30 – 12.30	2438

जिला	सत्र सं.	दिनांक	समय	प्रतिभागियों की संख्या
दरभंगा विद्यालयों की कुल संख्या – 3021	1	24.12.2020	11.30 – 12.30	410
	2	24.12.2020	02.30 – 03.30	440
	3	28.12.2020	11.30 – 12.30	478
	4	28.12.2020	02.30 – 03.30	438
	5	29.12.2020	11.30 – 12.30	480
	6	29.12.2020	02.30 – 03.30	447
	7	30.12.2020	11.30 – 12.30	483
	8	30.12.2020	02.30 – 03.30	435
	9	31.12.2020	11.30 – 12.30	442
	10	31.12.2020	02.30 – 03.30	429

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(C) बहु आपदा प्रवण विषय पर वर्चुअल सामुदायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

बिहार बहु आपदा प्रवण राज्य है। यही कारण है कि यहां विभिन्न तरह की आपदाएं आती रहती हैं। हम बाढ़, भूकम्प, सुखाड़, अगलगी, वज्रपात आंधी तूफान, शीतलहर जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रायः प्रभावित होते रहते हैं। इसके कारण जान–माल की भारी क्षति होती है। अगलगी छोड़कर अन्य आपदाओं में आदमी का वश नहीं चलता, परंतु हम कुछ ऐसी आपदाओं से भी प्रभावित हो जाते हैं जो हमारी असावधानी के कारण होती है तथा इसके घटित होने पर प्रायः मृत्यु तक हो जाती है। ऐसे आपदाओं में अगलगी, नाव दुर्घटना, डूबना, वाहन दुर्घटना शामिल हैं। हम ऐसी आपदाओं को मानव जनित या मानव निर्मित आपदा भी कहते हैं। इन प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के अतिरिक्त हम स्वास्थ्य संबंधी एवं सामाजिक समस्याओं का भी सामना करते हैं जिसमें हम व्यक्तिगत एवं सामाजिक रूप से प्रभावित होते हैं।

इन आपदाओं से समुदाय को ही सबसे पहले निबटना पड़ता है। सरकार के पदाधिकारी तो सूचना मिलने पर ही मदद के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि समुदाय के रूप में हम अपने गांव पंचायत, प्रखंड एवं जिले में आने वाली आपदाओं की जानकारी हासिल करें। आपदाओं के जोखिम को कम करने तथा उनके प्रबंधन हेत समुदाय की सहायता करने हेतु स्वयं को तैयार करें। इस प्रशिक्षण के माध्यम से बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विभिन्न संस्थाओं/व्यक्तियों के सहयोग से राज्य के प्रत्येक पंचायत में 10–10 उत्साही नौजवानों/युवतियों की टोली तैयार कर रहा है ताकि वे अपने समुदाय के मददगार हो सकें।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

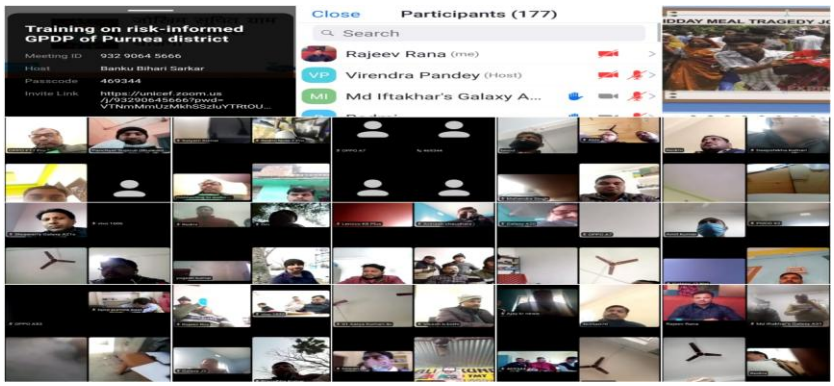

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कोविड–19 के मद्देनजर दिनांक 24.11.2020 से पूर्णियां जिले के प्रत्येक प्रखण्ड में वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत हो चुकी है। सामुदायिक प्रशिक्षण के पहले सत्र में कुल 250 नौजवानों/युवतियों को बाढ़ आपदा प्रबंधन (पशुओं एवं मानव) एवं भूकंप से बचाव के बारे में एन.डी.आर.एफ. एवं एस.डी.आर.एफ. के विशेषज्ञों ने प्रशिक्षित किया।

1–29 दिसम्बर तक पूर्णियां जिले के प्रत्येक प्रखंड में वर्चुअल/प्रखंड अंतर्गत प्रोजेक्टर के माध्यम से सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। दूसरे सत्र में 1051 नौजवानों/युवतियों की नौका दुर्घटनाओं से बचाव, डूबने से होने वाली मौतों से बचाव, वज्रपात से बचाव एवं शीतलहर से बचाव पर नीनी एवं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(D) अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम

'अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम' के तहत बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा अग्नि सुरक्षा विषय पर लोगों का क्षमतावर्धन एवं जागरूकता के लिए चार मॉडलों का निर्माण कराया गया। प्राधिकरण द्वारा इसकी सहायता से अग्नि सुरक्षा से जुड़े हितधारकों का समय–समय पर क्षमतावर्धन किया जाता रहा है। मुख्य सचिव, बिहार सरकार ने स्वयं इन मॉडलों की उपयोगिता की सराहना की है। दिनांक 30 दिसम्बर 2020 के प्राधिकरण द्वारा इन चारो मॉडलों को आपदा प्रबंधन विभाग को सौंप दिया गया ताकि इनका उपयोग और भी वृहत रूप में हो सके एवं विभिन्न हितधारकों की क्षमतावर्धन के लिए इसका व्यापक उपयोग किया जा सके। मॉडलों को आपदा प्रबंधन विभाग की सौंपने के दौरान माननीय सदस्य, डॉ0 उदयकांत मिश्र द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग के 09 प्रतिनिधियों को अस्पताल अग्नि सुरक्षा से संबंधित आयामों के बारे में अवगत कराया गया। जिसमें चारों मॉडलों को चला कर दिखाते हुए फायर फाइटिंग से फायर इंजीनियरिंग संबंधी आयामों पर में उनका उन्मुखीकरण किया गया। साथ में मॉडल की सहायता से फायर इंजीनियरिंग में उपयोगी उपकरणों एवं उसके कार्य प्रणाली के बारे में भी सब को विस्तृत जानकारी दी गई। फायर इंजीनियरिंग के माध्यम से मुख्य रूप से किसी भी भवन में आग न लगने देने के लिए उपयुक्त उपायों की जरूरत पर बल दिया गया।

मौजूदा संदर्भ में फायर फाइटिंग यानी आग लगने के बाद उसे बुझाने के उपायों पर ज्यादा जोर दिया जाता है। प्रतिभागियों को आग न लगने देने के लिए किये जाने वाले उचित उपायों, उपकरणों एवं सावधानियों तथा आग पर तुरंत काबू पाने के उपायों एवं संबंधित उपकरणों की उपयोगिता के बारे में जानकारी दी गई। आग लगने पर लोगों को तुरंत सुरक्षित

स्थान पर ले जाने की आवश्यकता जिससे कि जानमाल की कम से कम नुकसान हो, इसके अतिरिक्त अग्निशमन की आधुनिक तकनीकों आदि के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। प्रतिभागियों को '16 बिन्दु अग्नि प्रवणता सूचकांक' के बारे में भी बिन्दुवार जानकारी दी गयी साथ ही साथ अग्नि सुरक्षा पर बनी विडियों फिल्म भी दिखाई गई। विभाग के सभी 09 प्रतिभागियों को उनसे सीखी हुई बातों को दोहराने के लिए कहा गया ताकि सभी प्रतिभागी आगे मॉडल का उपयोग करते हुए लोगों को अग्नि सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण दे सकें, जिससे राज्य में अग्नि आपदा के न्यूनीकरण के लिए किये जा रहे प्रयासों में सफलता मिले। इस कार्यक्रम के दौरान संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग सह सचिव, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मौजूदगी प्रतिभागियों के लिए उत्प्रेरक का काम किया। यह भी तय हुआ कि प्राधिकरण के लोग बीच–बीच में विभाग में जाकर मॉडलों के बारे में और भी वांछित सूचनाएँ देते रहेंगे।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(E) नौका दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु जागरूकता एवं बचाव के तरीकों आदि विषय पर ऑनलाईन संवेदीकरण

प्राधिकरण द्वारा कोविड–19 की स्थिति में नौका दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की रोकथाम की उद्देश्य से सिवान, शिवहर, सहरसा, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्णियां, मधेपुरा, कटिहार, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, गोपालगंज, मधुबनी, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण एवं दरभंगा जिलों के प्रतिभागियों के साथ ऑनलाइन संवेदीकरण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के प्रखण्ड स्तर के पदाधिकारी, पूर्व में प्रशिक्षित निबंधन, पदाधिकारी एवं सर्वेक्षक, पंचायत प्रतिनिधि, जन–समुदाय, नाविक/नाव मालिक आदि ने भाग लिया।

प्रतिभागियों को नौका दुर्घटनाओं के परिदृश्य की चर्चा करते हुए उन्हें राज्य में पूर्व में हुई बड़ी नौका दुर्घटनाओं के बारे में अवगत करवाया गया। उन्हें बताया गया कि वर्ष 2010 में खगड़िया जिले के बुढ़ी गंडक नदी में हुई नौका दुर्घटना में 90 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी जिसका प्रमुख कारण ओवर लोडिंग था। इस घटना के पश्चात नौका परिचालन के लिए आवश्यक मानकों का निर्धारण किये जाने हेतु परिवहन विभाग के द्वारा आदर्श नौका नियमावली 2011 का सूत्रण किया गया। नौका दुर्घटना एक मानव निर्मित आपदा है, आवश्यक सावधानियों को बरतकर नौका दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती हैं। विभिन्न जिलों के प्रतिभागियों को पटना जिले के तर्ज पर 30–31 दिसम्बर एवं 01 जनवरी को भी नौका परिचालन पर रोक लगाने की अपील की गई, क्योंकि इन तिथियों को लोग अधिक संख्या में पिकनिक/मनोरंजन हेतु ओवर लोडेड नौकाओं पर यात्रा करते हैं।

उक्त संवेदीकरण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को सुरक्षित नौका परिचालन हेतु तकनिकी ज्ञान की जानकारी के साथ ही आवश्यक सावधानियों को बरतने की अपील की गई। आदर्श नौका नियमावली 2011 में दिये गये प्रावधानों के अनुपालन की आवश्यकता एवं महत्व से प्रतिभागियों को अवगत करवाया गया। प्राधिकरण स्तर से पूर्व में संचालित किये गये सुरक्षित नौका परिचालन हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान उपलब्ध कराई गयी मॉड्यूल्स का समय–समय पर अभ्यास एवं उपयोग किये जाने की आवश्यकता के बारे में भी अवगत कराया गया।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत विषय विशेषज्ञों द्वारा नौकाओं पर अंकित किये जाने वाले विभिन्न मानकों जैसे–भार आरेख, यात्रियों की संख्या का निर्धारण (भार वहन क्षमता) किये जाने के तरीकों आदि के बारे में विस्तार पूर्वक प्रस्तुतीकरण किया गया। नौकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया एवं उनके रख रखाव के बारे में भी प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। नौका दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रतिभागियों को बिना पंजीकृत नाव पर यात्रा न करने, जिन नौकाओं पर भार आरेख पट्टी का निशान लगा हो उन्ही नावों से यात्रा करने, ओवरलोडेड नावों पर न बैठने, जिन नौकाओं पर जानवर ढोये जा रहे हो उससे यात्रा न करने, बच्चों को अकेले नाव यात्रा न करने देना, नौका यात्रा के दौरान सेल्फी न लेना तथा नाव पर चढ़ते उतरते समय जल्दबाजी न करना और नाविक के निर्देशों का पालन करना तथा सूर्यास्त के पश्चात नौकाओं का परिचालन न करना आदि के संबंध में वार्ता व प्रस्तुतीकरण किया गया।

उक्त संवेदीकरण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को क्षतिग्रस्त एवं टूटी–फूटी नावों से परिचालन न करने एवं जिला प्रशासन से ऐसी नावों का परिचालन नही होने देने की जिम्मेवारी से अवगत कराया गया। संवेदीकरण के दौरान प्रतिभागियों से अपील की गई कि सभी के समन्वित प्रयास से नौका परिचालन को सुरक्षित बनाने में अपना योगदान दें। पदाधिकारियों को यह सुझाव दिया गया कि बदलते मौसम की जानकारी प्राप्त करें और इसके बारे में नाविकों, नाव मालिकों एवं समुदाय को मोबाईल के द्वारा मैसेज कर अवगत कराते रहें, साथ ही नाविकों, नाव मालिकों एवं समुदाय को यह सुझाव दिया गया कि वे पदाधिकारियों एवं एस0डी0आर0एफ0, एन0डी0आर0एफ0 एवं अन्य संबंधित हितधारकों के संपर्क नम्बर्स अपने पास अवश्य रखें, जिससे किसी भी आपातकालीन स्थिति में उनसे संपर्क किया जा सकें।

उल्लेखित ऑनलाइन संवेदीकरण कार्यक्रम को दिसम्बर माह 2020 में निम्न जिलों में संचालित किया गया। प्रतिभागियों की उपस्थिति सहित जिलों का विवरण निम्नलिखित है।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

क्र0सं0	जिला का नाम	दिनांक	प्रतिभागियों की संख्या (लगभग)
1	सीवान, शिवहर एवं सहरसा	03.12.2020	150
2	किशनगंज, सीतामढ़ी एवं पूर्णिया	08.12.2020	500
3	मधेपुरा, कटिहार एवं समस्तीपुर	11.12.2020	350
4	बेगूसराय, खगड़िया एवं मुंगेर	16.12.2020	300
5	लखीसराय, गोपालगंज एवं मधुबनी	21.12.2020	600
6	पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण एवं दरभंगा	24.12.2020	300
7	सुपौल,अररिया एवं मुजफ्फरपुर	30.12.2020	250
		कुल	**2450**

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(F) डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम हेतु जागरूकता एवं बचाव के तरीको आदि विषय पर ऑनलाइन संवेदीकरण

प्राधिकरण द्वारा कोविड–19 की स्थिति में डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम की उद्देश्य से दरभंगा, समस्तीपुर, भागलपुर, सीवान, शिवहर, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्णियां, शेखपुरा, नालंदा, अररिया, मुंगेर, लखीसराय, गोपालगंज, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण एवं सुपौल जिलों के प्रतिभागियों के ऑनलाइन संवेदीकरण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम में जिले एवं प्रखण्ड स्तर के पदाधिकारी, जन–समुदाय, पंचायत प्रतिनिधि एवं बालक/बालिकाओं ने भाग लिया।

प्रतिभागियों को डूबने की घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा स्थानीय परिप्रेक्ष्य में बंग्लादेश देश की तर्ज पर बालक/बालिकाओं के लिए तैराकी सिखने हेतु संचालित सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम के बारे में अवगत कराया गया। साथ ही पदाधिकारियों एवं समुदाय से मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण हेतु नदियों के किनारे के कुशल तैराक युवक/युवतियों की सूची प्राधिकरण को भेजने को कहा गया।

विषय विशेषज्ञों द्वारा डूबने से बचाव के उपायों, डूबते हुये व्यक्ति को बचाने के तरीकों, प्राथमिक उपचार आदि के संबंध में वार्ता, प्रस्तुतीकरण एवं वीडियो डिमान्सट्रेशन किया गया। इस अवसर पर प्रतिभागियों को डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम हेतु समुदाय एवं अभिभावकों के बीच सुरक्षा के उपायों का प्रचार–प्रसार जैसे– बच्चों को खतरनाक गड्ढों/स्थलों के पास

नही जाने देना, बच्चों को पूल/पूलिया आदि से पानी में कूदकर स्नान न करने, तैरना नही जानने की स्थिति में नदियों, तलाबों एवं घाटों के किनारे नही जाना, डूबते हुये व्यक्ति को धोती, साड़ी, रस्सी एवं बांस की सहायता से बचाने आदि के बारे में अवगत कराया गया।

उक्त संवेदीकरण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को डूबने से होनी वाली मौतों की रोकथाम के संबंध में जिला प्रशासन से खतरनाक घाटों की पहचान कर मनाही का चिन्ह लगाकर विशेषकर बच्चों को वहां न जाने हेतु अपील की गई।

उल्लिखित ऑनलाइन संवेदीकरण कार्यक्रम को निम्न जिलों में संचालित किया गया। प्रतिभागियों की उपस्थिति सहित जिलों का विवरण निम्नलिखित है।

क्र0सं0	जिला का नाम	दिनांक	प्रतिभागियों की संख्या (लगभग)
1	दरभंगा, समस्तीपुर और भागलपुर	01.12.2020	550
2	सीवान, शिवहर एवं सहरसा	04.12.2020	150
3	मधेपुरा, कटिहार एवं मधुबनी	09.12.2020	700
4	किशनगंज, सीतामढ़ी एवं पूर्णिया	14.12.2020	350
5	शेखपुरा, नालंदा एवं अररिया	17.12.2020	300
6	मुंगेर, लखीसराय एवं गोपालगंज	22.12.2020	225
7	पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण एवं सुपौल	28.12.2020	250
		कुल	**2525**

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(G) सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु जागरूकता एवं बचाव के तरीकों आदि के संबंध में पुलिस पदाधिकारियों का ऑनलाइन संवेदीकरण

प्राधिकरण द्वारा अपराध अनुसंधान विभाग, पटना के सहयोग से सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु जागरूकता एवं बचाव तरीकों आदि के संबंध में ऑनलाइन संवेदीकरण कार्यक्रम सम्पन्न किया गया। इस कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, अंचल पुलिस निरीक्षक, थानाध्यक्ष आदि ने भाग लिया।

प्रतिभागियों को राज्य में होने वाली विभिन्न आपदाओं के परिदृश्य के बारे में चर्चा की गई और उन्हें अवगत कराया गया कि राज्य में होने वाली प्राकृतिक एवं जलवायु जनित आपदाओं में जितनी संख्या में लोगों की मृत्यु होती है उससे कई गुना अधिक लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं में होती है। सड़क दुर्घटना एक मानव जनित आपदा है जिसे कम करने/रोकने में सभी Road Users एवं संबंधित विभागों/संस्थानों की संयुक्त जबावदेही की भूमिका है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु यह आवश्यक है कि हम सड़क दुर्घटनाओं से संबंधी खतरों/जोखिम को चिन्हित करें और आवश्यक उपायों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु आपदा जोखिम न्यूनीकरण के दृष्टिकोण से प्रमुख 04 Pillors यथा Education (शिक्षा), Engineering (अभियांत्रिकी), Enforcement (प्रवर्त्तन) को सुदृढ़ किये जाने हेतु सभी संबंधित को समन्वय में कार्य करने के महत्व के बारे में प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। साथ ही वाहन चलाते समय हेलमेट का उपोग अवश्य करना, सड़क पार करते समय दाहिने–बायें एवं सामने देखकर सड़क पार करना, तीव्र गति से वाहन न चलाना, वाहन चलाते समय मोबाईल एवं इयर फोन का उपयोग न करना आदि के बारे में वार्ता एवं प्रस्तुतीकरण के माध्यम से संवेदीकरण किया गया।

प्रतिभागियों को सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित खतरों को चिन्हित करने, जोखिम न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी के महत्व के बारे में अवगत कराया गया। सड़क सुरक्षा नियमों के अनुपालन हेतु प्रवर्तन जैसे लाईसेंस एवं वाहन फिटनेस जांच आदि कार्यों का सम्पादन दैनिक कार्यों के साथ ही किये जाने का सुझाव दिया गया। दैनिक कार्यों के दौरान ही विद्यालयों/महाविद्यालयों, ट्रक–टेम्पों स्टैंड्स आदि पर छात्र/छात्राओं, वाहन चालकों के बीच सड़क सुरक्षा के विभिन्न आयामों के बारे में संवेदीकरण किये जाने का सुझाव दिया गया।

प्रतिभागियों को जिलों की विभिन्न सड़कों पर सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति के संबंध में एवं किये जाने वाले आवश्यक सुरक्षा के उपायों के बारे में अवगत कराया गया। जिले स्तर पर आवश्यक Road Safety Measures को सुनिश्चित किये जाने के संबंध में प्रस्ताव को परिवहन विभाग या अपराध अनुसंधान विभाग को भेजे जाने के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में परिवहन विभाग के द्वारा बनाये गये मोबाईल एप के बारे में भी अवगत करवाया गया। पदाधिकारियों से अपील की गई कि प्रतिमाह होने वाली जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में भाग लेने स्थानीय सड़क सुरक्षा के मुद्दों को चिन्हित करके जाये। बैठक में अवगत कराया कि जिन जिलों को ओवर स्पिडिंग को नियंत्रित करने के उद्देश्य से Speed Radar Guns प्रदान किये गये है, वे जिले इसकी उपयोगिता सुनिश्चित करें।

प्रतिभागियों को Road Safety Engineering Measures जैसे रोड डिजांइन, साइनेजेज, एलाइनमेन्ट, क्रॉस सेक्सन, रोड सेफ्टी ऑडिट, ब्लैक स्पॉट एवं ग्रे स्पॉट आदि के बारे में अवगत कराया गया।

उक्त कार्यक्रम में प्रतिभागियों को अस्पताल पूर्व चिकित्सा के बारे में विस्तृत रूप से प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अवगत कराया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को दुर्घटनास्थल पर बरती जाने वाली सावधानियों एवं अन्य सामान्य नियमों के बारे में, रक्तश्राव रोकने के उपायों, हड्डी टुटने के स्थिति में घायल व्यक्ति की सहायता के तरीके, दम घुटने जैसी स्थिति में प्राथमिक उपचार के तरीकों एवं सी0पी0आर0 आदि के बारे में प्रतिभागियों को अवगत कराया गया।

उल्लिखित ऑनलाइन संवेदीकरण कार्यक्रम को निम्न जिलों में संचालित किया गया। प्रतिभागियों की उपस्थिति सहित जिलों का विवरण निम्नलिखित है।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

क्र0सं0	जिला का नाम	दिनांक	प्रतिभागियों की संख्या (लगभग)
1	मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, गोपालगंज, बेतिया और बगहा	02.12.2020	33
2	सीतामढ़ी, शिवहर, सारण, सिवान एवं वैशाली	07.12.2020	67
3	पटना, गया, अरवल एवं नवादा	10.12.2020	86
4	भोजपुर, बक्सर, रोहतास एवं भभुआ	15.12.2020	20
5	नालंदा, औरंगाबाद, जहानाबाद, मुंगेर, शेखपुरा एवं लखीसराय	18.12.2020	125
6	भागलपुर, बांका, नवगछिया, जमुई, खगड़िया एवं बेगूसराय	23.12.2020	110
7	दरभंगा,समस्तीपुर,मधुबनी, सुपौल एवं सहरसा	29.12.2020	70
8	पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज	31.12.2020	115
		कुल	**626**

(H) शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों का संवेदीकरण कार्यक्रम

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों का दिनांक 01 दिसंबर 2020 से 11 दिसंबर 2020 तक ''शीतलहर एवं शहरी अगलगी'' एवं दिनांक 18 दिसंबर 2020 से 30 दिसंबर 2020 तक ''कचरा प्रबंधन एवं वेक्टर जनित बीमारियों'' विषय पर वेबीनार के माध्यम से संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजित कार्यक्रम में महापौर, उप–महापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड पार्षद, नगर आयुक्त, उप–नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकरी, नगर प्रबंधक के साथ साथ अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित हुए। इस संवेदीकरण कार्यक्रम में शीतलहर एवं अगलगी के बचाव एवं जोखिम न्यूनीकरण के साथ आग लगने के उपरांत प्राथमिक चिकित्सा तथा शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन साथ साथ वेक्टर जनित बीमारियां के बारे में विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुतीकरण के साथ चर्चा किया गया। इस आयोजित वेबिनार संवेदीकरण कार्यक्रम में कुल 1954 प्रतिभागियों ने भाग लिया यह संवेदीकरण कार्यक्रम विभिन्न तिथियों में नगर निकायवार आयोजित किया गया जो इस प्रकार है।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

शहरी स्थानीय निकायों का ''शीतलहर एवं शहरी अगलगी'' विषय पर वेबिनार संवेदीकरण कार्यक्रम

क्र0सं0	दिनांक	जिला	प्रतिभागी नगर निकाय
1	01.12.2020	सीतामढ़ी	नगर परिषद्, सीतामढ़ी
		वैशाली	नगर परिषद्, हाजीपुर
			नगर परिषद्, महनार
		पूर्वी चम्पारण	नगर परिषद्, मोतिहारी
			नगर परिषद्, रक्सौल
			नगर परिषद्, ढ़ाका
		प0 चम्पारण	नगर परिषद्, बेतिया
			नगर परिषद्, बगहा
			नगर परिषद्, नरकटियागंज
2	02.12.2020	दरभंगा	नगर परिषद्, बेनीपुर
		मधुबनी	नगर परिषद्, मधुबनी
		समस्तीपुर	नगर परिषद्, समस्तीपुर
		भागलपुर	नगर परिषद्, सुल्तानगंज
		बांका	नगर परिषद्, बांका
		मुंगेर	नगर परिषद्, जमालपुर
		लखीसराय	नगर परिषद्, लखीसराय
		शेखपुरा	नगर परिषद्, शेखपुरा
			नगर परिषद्, बरबीघा
		जमुई	नगर परिषद्, जमुई
3	04.12.2020	खगड़िया	नगर परिषद्, खगड़िया
		बेगूसराय	नगर परिषद्, बीहट
		सिवान	नगर परिषद्, सीवान
		गोपालगंज	नगर परिषद्, गोपालगंज
		सहरसा	नगर परिषद्, सहरसा
		मधेपुरा	नगर परिषद्, मधेपुरा
		सुपौल	नगर परिषद्, सुपौल
		अररिया	नगर परिषद्, अररिया
			नगर परिषद्, फारबिसगंज
		किशनगंज	नगर परिषद्, किशनगंज
		पटना	नगर पंचायत, मनेर
			नगर पंचायत, खुसरूपुर
			नगर पंचायत, विक्रम
			नगर पंचायत, नौबतपूर
		भोजपुर	नगर पंचायत, पीरो
			नगर पंचायत, बिहियाँ
			नगर पंचायत, जगदीशपुर

			नगर पंचायत, कोईलवर
			नगर पंचायत, शाहपुर
		रोहतास	नगर पंचायत, कोआथ
			नगर पंचायत, नोखा
			नगर पंचायत, नासरीगंज
			नगर पंचायत, कोचस
		कैमूर	नगर पंचायत, मोहनियां
		नालंदा	नगर पंचायत, ईसलामपुर
			नगर पंचायत, सिलाव
			नगर पंचायत, राजगीर
			नगर पंचायत, हरनौत
4	08.12.2020	गया	नगर पंचायत, बोधगया
			नगर पंचायत, शेरघाटी
			नगर पंचायत, टेकारी
		जहानाबाद	नगर पंचायत, मखदुमपुर
		औरंगाबाद	नगर पंचायत, रफीगंज
			नगर पंचायत, नवीनगर
		नवादा	नगर पंचायत, वारसलीगंज
			नगर पंचायत, हिसुआ
		भागलपुर	नगर पंचायत, नवगछिया
			नगर पंचायत, कहलगाँव
		बांका	नगर पंचायत, अमरपुर
		सीतामढ़ी	नगर पंचायत, बैरगनिया
			नगर पंचायत, बेलसंड
			नगर पंचायत, डुमरा
			नगर पंचायत, जनकपुर रोड
			नगर पंचायत, सुरसण्ड
		मुजफ्फरपुर	नगर पंचायत, मोतीपुर
			नगर पंचायत, कांटी
			नगर पंचायत, साहेबगंज
5	09.12.2020	वैशाली	नगर पंचायत, लालगंज
			नगर पंचायत, महुआ
		शिवहर	नगर पंचायत, शिवहर
		पूर्वी चम्पारण	नगर पंचायत, चकिया
			नगर पंचायत, सुगौली
			नगर पंचायत, अरेराज
			नगर पंचायत, केसरिया
			नगर पंचायत, पकड़ीदयाल
			नगर पंचायत, मेहसी

		प0 चम्पारण	नगर पंचायत, चनपटिया
			नगर पंचायत, रामनगर
		मधुबनी	नगर पंचायत, जयनगर
			नगर पंचायत, झंझारपुर
			नगर पंचायत, घोघरडीहा
		समस्तीपुर	नगर पंचायत, दलसिंह सराय
			नगर पंचायत, रोसड़ा
6	11.12.2020	मुंगेर	नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर
		लखीसराय	नगर पंचायत, बड़हिया
		जमुई	नगर पंचायत, झाझा
		खगड़िया	नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर
		बेगूसराय	नगर पंचायत, बखरी
			नगर पंचायत, तेघड़ा
			नगर पंचायत, बलिया
		सारण	नगर पंचायत, सोनपुर
			नगर पंचायत, दिघवारा
			नगर पंचायत, मढ़ौरा
			नगर पंचायत, रिविलगंज
			नगर पंचायत, एकमा बाजार
			नगर पंचायत, परसा बाजार
		सिवान	नगर पंचायत, महाराजगंज
			नगर पंचायत, मैरवा
		गोपालगंज	नगर पंचायत, मीरगंज
			नगर पंचायत, बरौली
			नगर पंचायत, कटैया
		सुपौल	नगर पंचायत, बीरपुर
			नगर पंचायत, निर्मली
		मधेपुरा	नगर पंचायत, मुरलीगंज
		सहरसा	नगर पंचायत, सिमरी बख्तियारपुर
		पूर्णिया	नगर पंचायत, कसवा
			नगर पंचायत, बनमंखी
		अररिया	नगर पंचायत, जोगवनी
		किशनगंज	नगर पंचायत, बहादुरगंज
			नगर पंचायत, ठाकुरगंज
		कटिहार	नगर पंचायत, मनिहारी
			नगर पंचायत, बारसोई

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

शहरी स्थानीय निकायों का ''कचरा प्रबंधन एवं वेक्टर जनित बीमारियाँ'' विषय पर संवेदीकरण कार्यक्रम

क्र0सं0	दिनांक	जिला	नगर निकाय
1	18.12.2020	पटना	पटना नगर निगम
		नालंदा	बिहारशरीफ नगर निगम
		भोजपुर	आरा नगर निगम
		गया	गया नगर निगम
		भागलपुर	भागलपुर नगर निगम
		मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर नगर निगम
		दरभंगा	दरभंगा नगर निगम
		मुंगेर	मुंगेर नगर निगम
		बेगुसराय	बेगुसराय नगर निगम
		पूर्णियां	पूर्णियां नगर निगम
		कटिहार	कटिहार नगर निगम
		सारण	छपरा नगर निगम
2	22.12.2020	पटना	नगर परिषद्, बाढ़
			नगर परिषद्, खगौल
			नगर परिषद्, दानापुर
			नगर परिषद्, मोकामा
			नगर परिषद्, मसौढ़ी
			नगर परिषद्, फुलवारी शरीफ
			नगर परिषद्, बख्तियारपुर
			नगर परिषद्, फतुहा
		बक्सर	नगर परिषद्, बक्सर
			नगर परिषद्, डुमरांव
		रोहतास	नगर परिषद्, सासाराम
			नगर परिषद्, डेहरी डालमिया नगर
			नगर परिषद्, विक्रमगंज
		कैमूर	नगर परिषद्, भभुआ
		नालंदा	नगर परिषद्, हिलसा
		जहानाबाद	नगर परिषद्, जहानाबाद
		अरवल	नगर परिषद्, अरवल
		औरंगाबाद	नगर परिषद्, औरंगाबाद
			नगर परिषद्, दाउदनगर
		नवादा	नगर परिषद्, नवादा
3	23.12.2020	सीतामढ़ी	नगर परिषद्, सीतामढ़ी
		वैशाली	नगर परिषद्, हाजीपुर
			नगर परिषद्, महनार
		पूर्वी चम्पारण	नगर परिषद्, मोतिहारी
			नगर परिषद्, रक्सौल

			नगर परिषद्, ढ़ाका
		पo चम्पारण	नगर परिषद्, बेतिया
			नगर परिषद्, बगहा
			नगर परिषद्, नरकटियागंज
		दरभंगा	नगर परिषद्, बेनीपुर
		मधुबनी	नगर परिषद्, मधुबनी
		समस्तीपुर	नगर परिषद्, समस्तीपुर
		भागलपुर	नगर परिषद्, सुल्तानगंज
		बांका	नगर परिषद्, बांका
		मुंगेर	नगर परिषद्, जमालपुर
		लखीसराय	नगर परिषद्, लखीसराय
		शेखपुरा	नगर परिषद्, शेखपुरा
			नगर परिषद्, बरबीघा
		जमुई	नगर परिषद्, जमुई
4	24.12.2020	खगड़िया	नगर परिषद्, खगड़िया
		बेगूसराय	नगर परिषद्, बीहट
		सिवान	नगर परिषद्, सीवान
		गोपालगंज	नगर परिषद्, गोपालगंज
		सहरसा	नगर परिषद्, सहरसा
		मधेपुरा	नगर परिषद्, मधेपुरा
		सुपौल	नगर परिषद्, सुपौल
		अररिया	नगर परिषद्, अररिया
			नगर परिषद्, फारबिसगंज
		किशनगंज	नगर परिषद्, किशनगंज
		पटना	नगर पंचायत, मनेर
			नगर पंचायत, खुसरूपुर
			नगर पंचायत, विक्रम
			नगर पंचायत, नौबतपूर
		भोजपुर	नगर पंचायत, पीरो
			नगर पंचायत, बिहियाँ
			नगर पंचायत, जगदीशपुर
			नगर पंचायत, कोईलवर
			नगर पंचायत, शाहपुर
		रोहतास	नगर पंचायत, कोआथ
			नगर पंचायत, नोखा
			नगर पंचायत, नासरीगंज
			नगर पंचायत, कोचस
		कैमूर	नगर पंचायत, मोहनियां
		नालंदा	नगर पंचायत, ईसलामपुर

			नगर पंचायत, सिलाव
			नगर पंचायत, राजगीर
			नगर पंचायत, हरनौत
5	29.12.2020	गया	नगर पंचायत, बोधगया
			नगर पंचायत, शेरघाटी
			नगर पंचायत, टेकारी
		जहानाबाद	नगर पंचायत, मखदुमपुर
		औरंगाबाद	नगर पंचायत, रफीगंज
			नगर पंचायत, नवीनगर
		नवादा	नगर पंचायत, वारसलीगंज
			नगर पंचायत, हिसुआ
		भागलपुर	नगर पंचायत, नवगछिया
			नगर पंचायत, कहलगाँव
		बांका	नगर पंचायत, अमरपुर
		सीतामढ़ी	नगर पंचायत, बैरगनिया
			नगर पंचायत, बेलसंड
			नगर पंचायत, डुमरा
			नगर पंचायत, जनकपुर रोड
			नगर पंचायत, सुरसण्ड
		मुजफ्फरपुर	नगर पंचायत, मोतीपुर
			नगर पंचायत, कांटी
			नगर पंचायत, साहेबगंज
		वैशाली	नगर पंचायत, लालगंज
			नगर पंचायत, महुआ
		शिवहर	नगर पंचायत, शिवहर
		पूर्वी चम्पारण	नगर पंचायत, चकिया
			नगर पंचायत, सुगौली
			नगर पंचायत, अरेराज
			नगर पंचायत, केसरिया
			नगर पंचायत, पकड़ीदयाल
			नगर पंचायत, मेहसी
		प0 चम्पारण	नगर पंचायत, चनपटिया
			नगर पंचायत, रामनगर
		मधुबनी	नगर पंचायत, जयनगर
			नगर पंचायत, झंझारपुर
			नगर पंचायत, घोघरडीहा
		समस्तीपुर	नगर पंचायत, दलसिंह सराय
			नगर पंचायत, रोसड़ा
6	30.12.2020	मुंगेर	नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर

		लखीसराय	नगर पंचायत, बड़हिया
		जमुई	नगर पंचायत, झाझा
		खगड़िया	नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर
		बेगूसराय	नगर पंचायत, बखरी
			नगर पंचायत, तेघड़ा
			नगर पंचायत, बलिया
		सारण	नगर पंचायत, सोनपुर
			नगर पंचायत, दिघवारा
			नगर पंचायत, मढ़ौरा
			नगर पंचायत, रिविलगंज
			नगर पंचायत, एकमा बाजार
			नगर पंचायत, परसा बाजार
		सिवान	नगर पंचायत, महाराजगंज
			नगर पंचायत, मैरवा
		गोपालगंज	नगर पंचायत, मीरगंज
			नगर पंचायत, बरौली
			नगर पंचायत, कटैया
		सुपौल	नगर पंचायत, बीरपुर
			नगर पंचायत, निर्मली
		मधेपुरा	नगर पंचायत, मुरलीगंज
		सहरसा	नगर पंचायत, सिमरी बख्तियारपुर
		पूर्णियां	नगर पंचायत, कसवा
			नगर पंचायत, बनमंखी
		अररिया	नगर पंचायत, जोगवनी
		किशनगंज	नगर पंचायत, बहादुरगंज
			नगर पंचायत, ठाकुरगंज
		कटिहार	नगर पंचायत, मनिहारी
			नगर पंचायत, बारसोई

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(I) संसाधन की उपलब्धता ही नहीं, जानकारी भी जरूरी

बिहार एक बहुआपदा प्रवण राज्य है। आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने जिला स्तर पर आवश्यकतानुसार संसाधन मुहैया कराती है, लेकिन संसाधन के उपयोग के लिए सामग्री जहां है उसकी जानकारी भी बहुत आवश्यक है ताकि आपदा की घड़ी में बिना समय गवाएं संसाधन उपलब्ध हो और इसका आवश्यकतानुसार उपयोग हो सके।

इसके मद्देनजर Bihar State Disaster Resource Network BSDRN एक वेब आधारित प्लेटफार्म तैयार किया गया है। यह प्लेटफार्म विभिन्न उपकरणों, प्रशिक्षित मानवीय संसाधनों एवं अत्यावश्यक सामग्रियों की जानकारी आपदा रिस्पांस के लिए उपलब्ध कराता है। इसका प्रमुख उद्देश्य आपदा के समय उपयोग होने वाले उपकरणों एवं मानव संसाधनों आदि के विषय में सही जानकारी उपलब्ध कराना है, ताकि बिना समय गवाएं आपदा का सामना किया जा सके। इसके माध्यम से विभिन्न जिलों में विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए तैयारियों का अनुमान भी लगाया जा सकेगा। इसके माध्यम से आपदा के वक्त (Golden Hour) में लोगों तक प्रभावी रिस्पांस एवं राहत पहुंचा कर उनकी जान बचायी जा सकेगी।

BSDRN की स्थापना का उद्देश्य एक ऐसा राज्य स्तरीय Data Base तैयार करना है जो किसी आकस्मिक या आपदा के प्रबंधन के समय विभिन्न हितभागियों एवं प्रशासन को उपलब्ध संसाधनों की जानकारी प्रदान करेगा। यह जानकारी सभी आपदा प्रबंधकों को विभिन्न स्तर पर उपलब्ध हो सकेगी। BSDRN को उपकरण और कुशल मानव संसाधनों की एक व्यवस्थित सूची बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है ताकि आपदा प्रबंधकों को तत्काल और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए संसाधनों का विस्तृत विवरण और उसकी उपलब्धता के बारे में जानकारी मिल सके।

आपदाओं का जवाब देने की चुनौतियांः–

1. पेशेवर तरीके से आपदाओं का जवाब देने में प्रमुख चुनौतियों में से एक संसाधनों की व्यवस्थित सूची की कमी है, जैसे बचाव उपकरण और कुशल मानव संसाधननों की उपलब्धता इत्यादि।

2. संसाधनों की सूची का अभाव प्रभावी और तेजी से प्रतिक्रिया में देरी करता है, यह घातक हो सकता है।

BSDRN पोर्टल में 31 दिसम्बर तक कुल 7054 डेटा की इंट्री विभिन्न विभागों, विभिन्न जिलों तथा निजी संस्थानों के द्वारा की गई।

3. इस पोर्टल पर कुल छः प्रकार की Category बनाई गयी है सभी Categories में अलग–अलग अंकित संसाधनों की संख्या है। इस केटोगरी पर क्लीक करते ही सम्पूर्ण ब्योरा प्राप्त हो जाता है। इससे आपदा से निपटने में जुटी ऐजेंसियों को पता चलता है कि कहां कौन सामग्री उपलब्ध है।

अब तक संधारित आंकड़ों के अनुसार
7054 प्रकार की मानव बल, उपकरण आदि उपलब्ध हैं।

Search & Rescue Equipment: 2858
Skilled Manpower : 2809
Transportation : 104
Food and Water Sources : 261
Safety and Shelters : 826
Emergency Supplies And Services : 164

(J) Mass Messaging

बिहार एक बहु–आपदा प्रवण राज्य है, जहां सभी तरह की प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं घटित होती रहती हैं। यह राज्य जहां एक ओर लगभग हर वर्ष बाढ़ का प्रकोप झेलता है, वहीं दूसरी ओर सुखाड, अग्निकांड, शीतलहर लू, वज्रपात इत्यादि आपदाओं से भी राज्य का एक बड़ा भू–भाग प्रभावित रहता है। भूकंप की दृष्टि से भी बिहार अत्यन्त संवेदनशील है। प्राकृतिक आपदाओं को पूरी तरह रोक तो नहीं सकते, परंतु बेहतर आपदा प्रबंधन एवं इसके सुदृढ़ीकरण से नुकसान को कम किया जा सकता है। इसके लिए आमलोगों को आपदा की खतरा से अवगत कराना जरूरी है। इसलिए आपदाओं में 'क्या करें क्या न करें' की एसएमएस के माध्यम से इन लोगों को पहुंचाया गया।

प्राधिकरण में उपलब्ध विभिन्न मोबाइल नंबर जैसे जिला पदाधिकारी DM (38), ADM (38), BDO (534), CO (534), साथ ही साथ प्रशिक्षित फोकल टीचर (1542), नाव एवं नाव मालिक (3820), पंचायत जन प्रतिनिधि (चयनित–207429, गैर चयनित–435699), जीविका दीदी–(148890), आशा कार्यकर्त्ता (77542), आगनबाड़ी सेविका (45946) एवं प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित अभियंता एवं राजमिस्त्रियों में उपस्थित अन्य (लगभग 36 लाख नंबर) पर विभिन्न आपदाओं के बारे में समय–समय पर नियमित मास मैसेजिंग (सामूहिक संदेश संप्रेषण) किया जाता है।

मास मैसेजिंग IT के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण यूनिट बन गया है। जिसका उपयोग न केवल Early Warning तक सीमित है बल्कि आपदा प्रबंधन के विभिन्न आयामों जैसे कि Disaster Preparedness, Mitigation पर जागरूकता एवं बचाव हेतु जानकारी भेजी जाती है। इस तकनीक के मदद से कम समय में अधिकतम लोगों को Text Message के रूप में क्या करें, क्या न करें की जानकारी दी जा रही है। सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर माह में अब तक कुल 8389536+1162281 +1074182= 10,625,999 Mass Message निम्नलिखित विषयों पर भेजा जा चुका है।

- **सड़क दुर्घटना से बचने के उपाय**
- **शीत लहर से कैसे बचे**
- **ठंड से बचने के उपाय**
- **वायु प्रदूषण से बचने के उपाय**

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

जनहित में जारी

सड़क दुर्घटना से बचने के उपाय

सड़क पार करते समय हमेशा दायें और बायें देख कर पार करें।
सड़क पर चलते समय या सड़क पार करते समय कान में इयरफोन लगा कर न चलें।
दुपहिया वाहन चालक और उनके पीछे बैठने वाली सवारी हमेशा हेलमेट पहन कर चलें।
हमेशा सीट बेल्ट बांध कर गाड़ी चलायें।
वाहन सवार एवं पैदल यात्री एम्बुलेंस के जाने के लिए रास्ता छोड़ें ।
गाड़ी चलाते समय सेल्फी न लें।

शीतलहर से कैसे बचें

बाहर जाना हो तो समुचित गर्म कपड़ों को पहनकर ही निकलें।
सिर, चेहरा, हाथ एवं पैर को भी ठीक तरह से ढक लें।
शरीर का तापमान ठीक रखने के लिए पौष्टिक आहार एवं गर्म पेय पदार्थों का सेवन करें।
शीतलहर के दौरान बच्चे व वृद्ध घर से बाहर कम निकलें।
उच्च रक्तचाप, मधुमेह के मरीज तथा हृदय रोगी की सलाह जरूर लेते रहें तथा सामान्यता धूप होने पर ही घर से बाहर निकलें।
विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पर नजदीकी अस्पताल से चिकित्सीय परामर्श लें।
समाचार पत्र/रेडियो/टेलीविजन के माध्यम से मौसम की जानकारी लेते रहें।

ठंड से बचने के उपायः–

बाहर जाना हो तो समुचित गर्म कपड़े पहन कर ही निकलें।
सिर, हाथ एवं पैर को भी ठीक तरह से ढक लें।
शरीर का तापमान ठीक रखने के लिए पौष्टिक आहार एवं गर्म पेय पदार्थों का सेवन करें।
उच्च रक्तचाप, मधुमेह के मरीज तथा हृदय रोगी चिकित्सक की सलाह जरूर लेते रहें तथा सामान्यता धूप होने पर ही घर से बाहर निकलें।
विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पर नजदीकी अस्पताल से चिकित्सीय परामर्श लें।

वायु प्रदूषण से बचने के उपाय

वायु प्रदूषण से फेफड़ा और दिल की बीमारी का खतरा पैदा होता है।
धुएँ से वायु प्रदूषण बढ़ता है अतएव जीवाश्म इधनों यथा कोयला/गोबर के उपले/लकड़ी आदि को जलावन में उपयोग न करें।
औधोगिक इकाई अपने उत्सर्जन को मानक के अनुकूल बनाए रखें।
वृक्षारोपण को बढ़ावा दें एवं अपने घरों के आस–पास पेड़ पौधों की देखभाल ठीक से करें।